05.01.2021 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल मिसल किया गया। भू. अ. नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता गैर-मुमकिन श्मशान से होकर गुजरता है (बिंदु सं. 06, रिपोर्ट भू. अ. नि.)। राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-क में केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही प्रावधान है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 251-क के तहत नहीं दिया जा सकता। प्रा. पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, दाखिल दफ्तर की जाए।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर